



AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY

UTTAR PRADESH

SANCTION LETTER

PERMIT DATE : 20 Dec 2021

FILE No. : ADA/LD/20-21/1127

Site Address : KH. NO-148, 152/1, 152/2, 171, MAUZA MOHAMMAD PUR, AGRA
PERMIT NO. : Plotted Resi development / Plotted Housing/01081/ADA/LD/20-21/1127/27032021
USE : Residential
SCHEME : NA
PROPERTY : Gata/ ARAZI No.: 148, 152/1, 152/2,
171
LandMark: NEAR SCHOOL
Revenue Village: Mohammadpur
Tehsil: Agra
District: Agra
NAME : SHRI GIRIRAJ SHAHKARI AWAS
SAMITI LTD THROUGH
DIRECTOR-V.K.JINDAL, SHRI
TIRTH SHAHKARI AWAS SAMITI
LTD THROUGH
DIRECTOR-NIRANJAN PALIWAL,
M/S SHRI NIKETAN DEVELOPERS
THROUGH DIRECTOR-YUGAL
KISHORE AGRAWAL

ADDRESS : KH. NO-148, 152/1, 152/2, 171, MAUZA MOHAMMAD PUR, AGRA,AGRA,Uttar Pradesh

Your proposal submitted with reference to above has been examined as per rules and found suitable as per proposal drawing building Bylaws-2008 (Amended till-2018)

Date of Validity: **19 Dec 2026** or Expiry date of lease deed whichever is earlier.

Restrictions Required:

1. This permission is given based on the inputs on pages, documents and drawing provided by Applicant/ Architect. Applicant/ Architect confirms that the documents/ drawings submitted electronically or inputs by them are correct.
2. The permission accorded does not confer any ownership rights. The permission will be revoked at later stage, if it is found that the documents or information are false and fabricated.
3. Subject to obtaining of all required NOC's.

STANDARD CONDITIONS

1. This map is valid up to five years from the date of approval.
2. Before commencement of construction information shall be given to the Authority and after completion of construction, Completion Certificate shall be obtained from the Authority before occupying of the building or part thereof as per provision of Building Bye-Laws 2008 (as amended 2011/2016).

3. Before starting of construction, a board 4 ft x 3 ft shall be put up at the site on which Name of approving Authority, permit number, approval date, validity date and name of architect are to be mentioned.
4. Responsibility of Structure safety and quality shall be of Applicant.
5. Government Orders in force time to time shall be complied.
6. If approving Authority issue any demand letter in future, the applicant has to deposit the same without any objection.
7. If any dispute at any point of ownership arises in future, the permission shall be forfeited automatically (without giving any show cause notice). The approval of map does not give land rights to the applicant.
8. If any information is concealed or given wrong by the applicant, the map shall be cancelable.
9. Regarding construction, the standard/conditions specified in the Building Bye-Laws shall be implemented.
10. The building will be used only for which it is sanctioned.
11. Indian Electricity Rules shall not be violated and the conditions mentioned on NOC(s) issued by the different departments shall also be followed.

Next Application Process:

- Apply for Work start intimation on work start for intimation to authority from UPOBPAS
- Apply for Plinth Completion after completion of Plinth from UPOBPAS
- Apply for Occupancy after completion of Building through UPOBPAS.

NGT CONDITIONS

- 1) Owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including owner, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.
- 2) The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.
- 3) All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.
- 4) The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.

- 5) The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
- 6) Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.
- 7) Owner shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relating to dust emission.
- 8) It shall be the responsibility of owner to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.
- 9) All owners/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.
- 10) Wind breaking walls around construction site.
- 11) All owners shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the owners and transporters.
- 12) Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.
- 13) Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.
- 14) Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.
- 15) The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.
- 16) Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance, Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.
- 17) Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.
- 18) Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all

categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.

- 19) Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.
- 20) Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.
- 21) Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean Nox catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).
- 22) Green belt creation will also act as a mitigating factor.

SPECIAL CONDITIONS :

1. Special conditions:
 1. Rain water harvesting system is to be installed at site.
 2. Completion certificate is to be obtain before occupancy.

Digitally signed by RAJENDER PENSIYA
Date: 20 Dec 2021 19:55:34
Organization :Agra Development Authority
Designation :Vice Chairman

AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY

(1)

कार्यालय तहसीलदार (सदर) आगरा।

संख्या 02 /रा0लि0

दिनांक : 06/2/2020

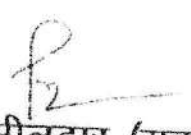
विशय:- खसरा संख्या- 148,152/1, 171 व 152/2 मौजा मौहम्मदपुर आगरा पर ऑन लाईन मानचित्र की स्वीकृत हेतु एन0ओ0सी0 जारी करने के सम्बन्ध में।

अधिशाली अभियन्ता (भवन),
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा।

उपरोक्त विषयक मैम नं0-20191004144028913 दि0 05.02.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री तीर्थ सह0आ0स0लि0, श्री निरंजन पालीवाल, निवासी-03 नेहरू नगर आगरा श्री गिर्राज सह0आ0स0लि0, श्री वी0के0 जिन्दल निवासी 63 सुभाष नगर, आगरा व श्री निकेतन डवलपर्स श्री युगलकिशोर अग्रवाल निवासी-ई-743 कमला आगरा द्वारा मानचित्र स्वीकृत के साथ उक्त भूमि से सम्बन्धित स्वामित्व अभिलेख की आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण की जॉच क्षेत्रीय लेखपाल के माध्यम से कराई गई। जिसकी आख्या मूलरूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है।

संलग्नक :- यथोक्त।


तहसीलदार (सदर),
आगरा।
तहसीलदार (सदर)
आगरा

महोदय,

रालग्न पत्रांक अधिशासी अभियन्ता (भवन) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा, द्वारा प्रेषित है, जिसमें ग्राम मौहम्मदपुर की खसरा संख्या 148,152/1, 171 व 152/2 के आनलाईन मानचित्र की स्वीकृति हेतु एन0ओ0सी0जारी करने के सम्बन्ध में, श्रीमान जी के आदेश के अनुपालन में जांच की गयी। बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :-

- 1- प्रश्नगत खसरा सं0 148,152/1, 171 व 152/2 में मौजा मौहम्मदपुर तहसील सदर आगरा की भूमि में चकरोड, नाली, तालाब, पोखर, शमसान घाट, खाद के गढ्ढे, हड्डाघर, चारागाह, यमुना डूब क्षेत्र अथवा अथवा कोई सार्वजनिक उपयोग एवं असंकमणीय भूमि सम्मिलित नहीं है।
- 2- उक्त भूमि में ग्राम सभा/राज्य सरकार की भूमि निहित नहीं है।
- 3- उक्त भूमि में ग्रामसभा/राज्य सरकार की भूमि निहित नहीं हैं।
- 4- उक्त भूमि में राजकीय आस्थान/नजूल अथवा सीलिंग की भूमि निहित नहीं है।
- 4- ग्राम मौहम्मदपुर की खसरा सं0 148/0.6620हे0, 152/2 रकवा 0.6740हे0 कुल रकवा 1.3360हे0 मे से 1.2440हे0 श्री निकेतन डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री युगलकिशोर अग्रवाल पुत्र श्रीनिवास अग्रवाल निवासी-ई-743 कमला आगरा तथा खसरा सं0 171मि0 रकवा 1.3820हे0 मे से 0.6808हे0 गिराज सह0आ0समि0 लि0 आगरा द्वारा सचिव वी0के0जिन्दल पुत्र श्रीनिवास अग्रवाल सुभाष नगर आगरा व श्री निकेतन डवलपर्स बाईपासरोड आगरा द्वारा पार्टनर युगल किशोर अग्रवाल पुत्र श्रीनिवास अग्रवाल व खसरा सं0 152/1 रकवा 2.0506हे0 मे से 1.7310हे0 श्री तीर्थ सह0आ0समि0लि0 आगरा का स्वामित्व है। उपरोक्तानुसार कुल 3.6558हे0 भूमि की एन0ओ0सी0 प्रदान किये जाने हेतु आख्या सादर प्रेषित है।

06/2/2020

टीकम सिंह (लेखपाल)
क्षेत्र अरतनी
तहसील सदर, आगरा

महोदय,

लेखपाल आख्या सं0 148/1

8/2/20
संजय कुमार सिंह
110 नि0
आगरा तहसील सदर

महोदय

रामे आख्या सं0 148/1

8/2/20
टीकम सिंह
आगरा तहसील सदर

कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा।

संख्या: 1230/व0न0लि0

दिनांक: मई 01, 2021 ई0

विषय: खसरा संख्या-148, 152/1, 152/2, व 171 स्थित मौजा
मौहम्मदपुर तहसील व जिला आगरा के संबंध में।

सचिव,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा

कृपया, खसरा संख्या-148, 152/1, 152/2, व 171 स्थित मौजा
मौहम्मदपुर तहसील व जिला आगरा के संबंध में अपने पत्र
संख्या-ADA/LD/20-21/1127/NOC दिनांक 20.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उक्त के सम्बन्ध में नजूल मुहरिर आगरा से जांच करायी गई। तद्
सम्बन्ध में प्राप्त नजूल मुहरिर की जांच आख्या दिनांक 21.05.2021 मूलरूप में
संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(हिमाशु गौतम)
अपर जिलाधिकारी (प्रो0)/
प्रभारी अधिकारी (नजूल).
आगरा।

$$\frac{1}{x^2} = x^{-2} \Rightarrow \frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$$

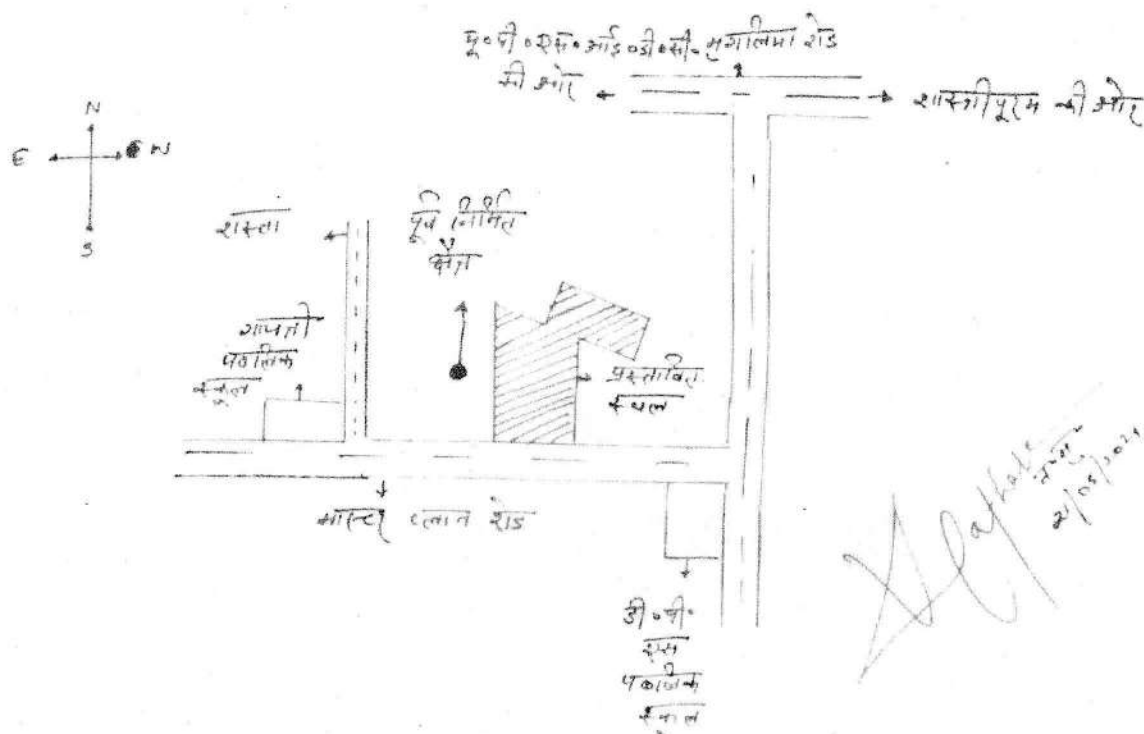
$$\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$$

[illegible]

$\frac{420000}{100} \times 100 = 420000$ रु. का आना है
 जो कि 100 रु. की नोटों में 420000 रु. का आना है, 100 रु. का नोट 100 रु. का आना है, 100 रु. का नोट 100 रु. का आना है
 100 रु. का नोट 100 रु. का आना है (100 रु. का नोट 100 रु. का आना है) 100 रु. का नोट 100 रु. का आना है
 100 रु. का नोट 100 रु. का आना है 100 रु. का नोट 100 रु. का आना है 100 रु. का नोट 100 रु. का आना है

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$
[illegible]

~~20/05/2012~~
21/05/2012



2/10/2012

कार्यालय, नगर निगम, आगरा

पत्रांक:-164/डी/पी0एस0/19

दिनांक:-08/11/2019

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता(भवन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषय:- खसरा संख्या-148, 151, 171 व 152/2 मौजा मौहम्मदपुर, आगरा पर ऑनलाईन मानचित्र की स्वीकृति हेतु एन0ओ0सी0 जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक स्वकीय पत्रांक मैप नं0-20191004144028913 दिनांक 22.10.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त पत्र द्वारा श्री युगल किशोर अग्रवाल पुत्र श्री निवास अग्रवाल निवासी-ई-743, कमला नगर, आगरा द्वारा ऑनलाईन मानचित्र की स्वीकृति हेतु एन0ओ0सी0 भिजवाने की अपेक्षा की गयी है, के संदर्भ में अवगत कराना है कि संलग्न साइड प्लान में दर्शायी गयी भूमि खसरा संख्या-148, 151, 171, व 152/2 मौजा मौहम्मदपुर तहसील व जिला आगरा नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर है।

संलग्नक-मानचित्र की प्रति

भवदीय

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

प्रतिलिपि:- श्री युगल किशोर अग्रवाल पुत्र श्री निवास अग्रवाल निवासी-ई-743, कमला नगर, आगरा को सूचनार्थ।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा
सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा



सं. प्र. ० तारका ३० उपक्रम

कार्यालय
उपखण्ड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड प्रथम,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
सिकन्दरा, आगरा।

5

पत्रांक 1681 / वि०वि०उप०ख०-प्रथम/आगरा

दिनांक ०३ / १२ / २०१९

विषय - खसरा संख्या 148,151,171 व 152 / 2 मौजा मौहम्मदपुर आगरा पर ऑन लाइन मानचित्र की स्वीकृति हेतु एन०ओ०सी० जारी करने के सम्बन्ध में।

नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री युगल किशोर अग्रवाल पुत्र श्री श्री निवास अग्रवाल निवासी- ई 743 कमला नगर, आगरा द्वारा मेप न०- 20191004144028913 दिनांक 22.10.2019 के सम्बन्ध में साईट निरीक्षण करने पर उक्त साईट पर कोई भी विभागीय एल०टी०/एच०टी० लाईन नहीं है।

अतः अनापत्ति प्रमाण -पत्र अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- प्रमाणपत्र।

(उपखण्ड अधिकारी)
विद्युत वितरण उपखण्ड-प्रथम

सचिव प्रबन्धक,
जलकल विभाग, आगरा।

सेवा में,

नगर नियोजक,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

पत्रांक: D-50 /स0प्र0/ज0क0वि0/एन.ओ.सी./19

दिनांक 22 / 11 / 2019

विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0-20191004144028913 दिनांक 22.10.2019 का सन्दर्भ लें।

श्री युगल किशोर अग्रवाल पुत्र श्री निवास अग्रवाल, निवासी-ई-743, कमला नगर, आगरा द्वारा खसरा सं0-148, 151, 171 व 152/2, मौजा मोहम्मदपुर, आगरा पर प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र हेतु एन. ओ. सी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये प्रेषित किये गये प्रस्ताव के क्रम में जो नगर निगम सीमा के बाहर है, आगरा जल संस्थान द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के साथ आपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है -

1. सम्बन्धित क्षेत्र में आगरा जल संस्थान की वर्तमान में जलापूर्ति की व्यवस्था न होने के कारण भविष्य में उक्त क्षेत्र में चचसीवर के लिये पाइप लाइन आदि बिछाये जाने व पानी की आवश्यक व्यवस्था के कार्यों हेतु आवश्यक विकास शुल्क/अनुपातिक व्यय आगरा जल संस्थान, आगरा में जमा कराया जायेगा जो उक्त भू-स्वामी द्वारा देय होगा।
2. अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल प्रस्तावित भूमि पर केवल ऑनलाईन मानचित्र निर्माण के लिये ही निर्गत किया जा रहा है। इस कार्य के अतिरिक्त यदि भूमि अन्य प्रयोजन में ली जाती है तो पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
3. प्रस्तावित भूखण्डीय विकास हेतु आवश्यक जलापूर्ति एवं ड्रेनेज तथा सीवरेज निस्तारण हेतु जल संस्थान द्वारा कोई व्यवस्था/सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी एवं यह व्यवस्था मानचित्र प्रस्तोता को स्वयं अपने व्यय व स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुरूप करनी पड़ेगी जिसके संचालन एवं रख-रखाव का दायित्व भी उसी का होगा।
4. सीवर की व्यवस्था के लिए उचित सीवर शोधन एवं उसके निस्तारण हेतु पर्यावरण को दृष्टिकोण में रखते हुए वैज्ञानिक रूप से निस्तारण कराना होगा।
5. सम्बन्धित क्षेत्र में यदि भविष्य में सीवर लाइन डाली जाती है तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति एवं सीवर संयोजन हेतु निर्धारित देयों का जल संस्थान को भुगतान करने पर ही दिया जा सकेगा।
6. सम्बन्धित क्षेत्र में पाइप लाइन न होने के कारण भविष्य में पाइप लाइन डाली जाती है तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति एवं जल संयोजन हेतु निर्धारित देयों का जल संस्थान को भुगतान करने पर ही दिया जा सकेगा।
7. सम्बन्धित क्षेत्र हेतु जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था हेतु किये जाने वाले कार्यों पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित विकास शुल्क/अनुपातिक व्यय का भुगतान करना होगा।
8. भविष्य में सीवर व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने पर भू-स्वामी/भूमि का उपयोग करने वाले व्यक्ति/फर्म को जल संयोजन एवं सीवर संयोजन के लिये जल संस्थान के समक्ष प्रथक से आवेदन कराना होगा और उस पर नियमानुसार देय भुगतान करने के उपरान्त ही जल संयोजन एवं सीवर संयोजन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं भविष्य में नियमित रूप से भुगतान करने की वचनबद्धता का अनुपालन कराने पर ही अनुमन्य होगा, जिसके लिये षपथपत्र दिया जाना होगा।

9. प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र में आन्तरिक जलापूर्ति व्यवस्था के लिये मानचित्र प्रस्तुतकर्ता को जल स्रोत एवं जल वितरण प्रणाली मानकों के अनुरूप तैयार करनी होगी तथा आन्तरिक सीवर व्यवस्था के लिये सीवर लाइनों एवं सीवर निस्तारण की व्यवस्था भी मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करनी होगी।

1. वर्तमान में सीवर लाईन की क्षमता।- इस क्षेत्र में सीवर की व्यवस्था नहीं है।
2. वर्तमान में जनसंख्या घनत्व। - सामान्य है।
3. क्या वर्तमान जनसंख्या घनत्व के लिये वर्तमान सीवर लाईन की क्षमता पर्याप्त नहीं है ?- सीवर व्यवस्था हेतु मानचित्र प्रस्तुतकर्ता को वैज्ञानिक विधि से सीवर निस्तारण करना होगा, ताकि भूमिगत जल स्रोत प्रदूषित न हो सके।
4. यदि उक्त बिन्दु 3 का उत्तर सकारात्मक है तो प्रस्तावित निर्माण से जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। - बिन्दु 3 के अनुसार
5. प्रस्तावित निर्माण के फलस्वरूप क्या वर्तमान सीवर लाईन की क्षमता पर्याप्त होगी ?- बिन्दु 3 के अनुसार
6. क्या वर्तमान निर्माण में उत्सृजित सीवर को सीवर लाईन से जोड़ा जा सकता है ?- बिन्दु 3 के अनुसार
7. क्या सीवर ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट की आवश्यकता है ?
8. अन्य कोई शर्तें, अति आवश्यक हों।

भवदीय,

D-50/स.प्र.

23/11/2019

पृ.सं.

एवं दिनांक:-

/तदैव/

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, आगरा को सादर सूचनार्थ।
2. श्री युगल किशोर अग्रवाल पुत्र श्री निवास अग्रवाल, निवासी-ई-743, कमला नगर, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव प्रबन्धक,
जलकल विभाग, आगरा

कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा।

संख्या: 1230/व0न0लि0

दिनांक: 01, 2021 ई0

विषय: खसरा संख्या-148, 152/1, 152/2, व 171 स्थित मौजा
मौहम्मदपुर तहसील व जिला आगरा के संबंध में।

सचिव,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा

कृपया, खसरा संख्या-148, 152/1, 152/2, व 171 स्थित मौजा
मौहम्मदपुर तहसील व जिला आगरा के संबंध में अपने पत्र
संख्या-ADA/LD/20-21/1127/NOC दिनांक 20.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उक्त के सम्बन्ध में नजूल मुहरिर आगरा से जांच करायी गई। तद्
सम्बन्ध में प्राप्त नजूल मुहरिर की जांच आख्या दिनांक 21.05.2021 मूलरूप में
संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(हिमाशु गौतम)
अपर जिलाधिकारी (प्रो0) /
प्रभारी अधिकारी (नजूल),
आगरा।

SNC/0-C

महोदय,

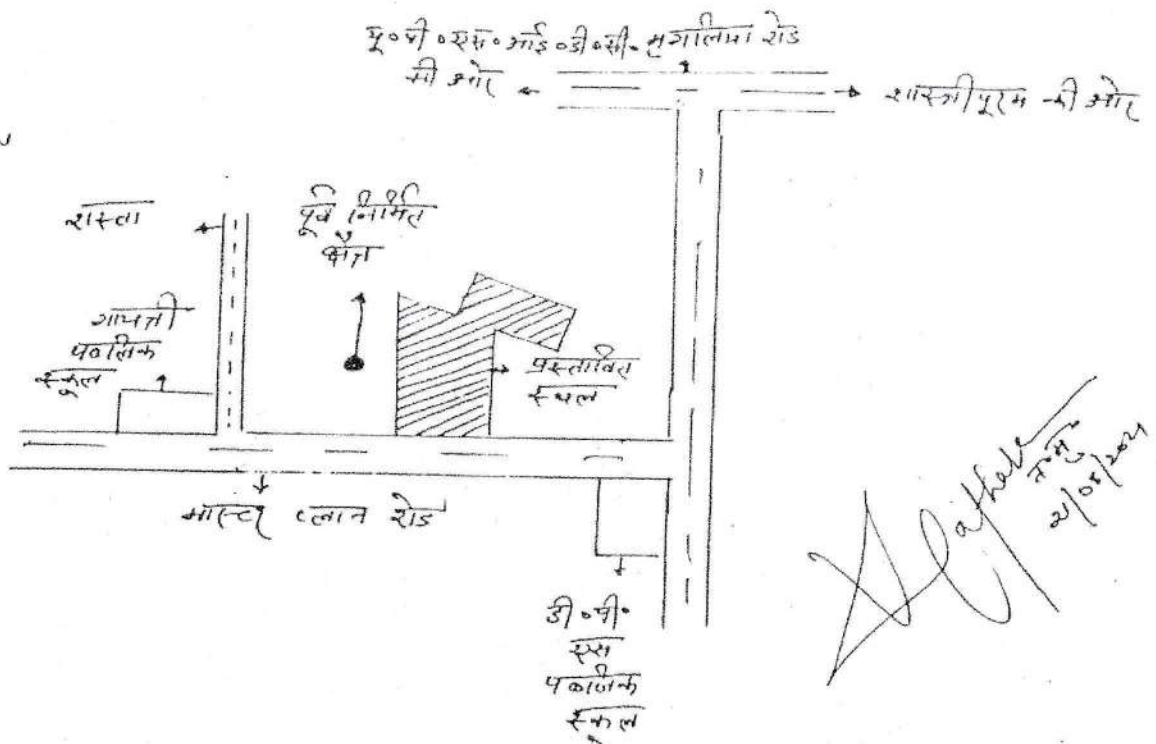
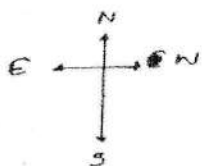
सलहना पत्र सं० ADN/LO/20-21/1123/NCL आगरा जिला आपत्तिका
आगरा पर धुवलाकर आपने ओडरा का संदर्भ देकर करने का कहते
हैं, जो कि ग्राम में एम्बरु, तहसील की नक्शा सं० 148, 152/1, 152/2
व 171 व में आवासीय भवन के निर्माण के संबंध में NCL-पट्टी
करने के संबंध प्रस्तुत किया गया है।

अतः के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों
का परीक्षण व स्थलीय जाँच किया जा रहा है। अभिलेखों
मिलाना है -

प्रश्नगत स्थल जहाँ सं० 148, 152 व 171 व का भाग है
जो कि मैची 1(क) की भूमि है, प्रश्नगत निर्माण नक्शा 148, 152 व
152 के शेष भाग पर (पूर्व निर्मित/प्रस्तावित भवन के कोण) स्थित है।
जिसका क्षेत्र-आकार के अनुसार कुल प्रस्तावित रुक 1.37+1 हे० है।

प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल कार्यालय की उपलब्ध
अभिलेखानुसार नजूल भूखण्ड वाली भूमि नहीं है।
हिपॉथेसिस कार्यालयी हेतु रोजना में राइट ऑफिस है।

[Signature]
21/05/2024



(7)

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण आगरा।

पत्रांक 11 /न०भू०सी०/21

दिनांक 2-6-21

विषय:- खसरा संख्या 148,152/1,152/2,171 मौजा मौहम्मदपुर आगरा के आनलाईन मानचित्र की स्वीकृत हेतु एन०ओ०सी० के सम्बन्ध में।

नगर नियोजक,
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा।

कृपया आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पत्र संख्या ए०डी०ए०/एल०डी०/20-21/1127/एन०ओ०सी० दिनांक 20.03.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके माध्यम से श्री वी०के०जिन्दल आगरा के द्वारा आनलाईन मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से एन०ओ०सी० चाही गयी है।

इसके सम्बन्ध अवगत कराना है की तहसीलदार (सदर) से जाँच करायी गयी जाँच आख्या संख्या 88/आर०सी० दिनांक 01/06/21 की छाया प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

अपर जिलाधिकारी(नगर)/
सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण
आगरा।

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण आगरा।

पत्रांक नं 88 / न०म०सी०/21

दिनांक 27-5-21

विषय:- खसरा संख्या 148,152/1, 152/2, 171 मोजा मोहम्मद पुर आगरा के आनलाईन मानचित्र की स्वीकृत हेतु एन०ओ०सी० के सम्बन्ध में।

तहसीलदार(सदर)
आगरा।

कृपया आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पत्र संख्या ए०डी०ए०/एल०डी०/20-21/1127/एन०ओ०सी० दिनांक 20.03.2021 का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके माध्यम से श्री श्री०के०जिन्दल आगरा के द्वारा आनलाईन मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से एन०ओ०सी० चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में आप से अपेक्षा है कि सम्बन्धित खसरा संख्या 148,152/1, 152/2, 171 मोजा मोहम्मद पुर आगरा आगरा की भूमि सीलिंग दर्ज होने व न होने के सम्बन्ध में अपनी जाँच आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराए जिससे प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया सके।

रा० नि० (8)/स० ग०
क० जाँचकर नियमन आख्या/
आ० का० करें।

तहसीलदार (सदर)
(आगरा)
27/5/21

अपर जिलाधिकारी(नगर)/
सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण
आगरा।